पत्र संख्या–3/सी0एस0एम0–33/05–1057

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक,

जी0 एस0 कंग,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव, बिहार, पटना
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार, पटना
सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार
सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार
सभी अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, बिहार
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार
सभी अंचल अधिकारी, बिहार
सभी थाना प्रभारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक–13 जून, 2006

विषयः–आम जनता की समस्याओं के निदान हेतु जन शिकायत कोषांग के गठन एवं इसके लिए तिथि एवं समय का संशोधित निर्धारण।

महाशय,

कृपया पत्रांक–722 दिनांक–26.04.2006 एवं पत्रांक–942 दिनांक–27.05.06 का निदेश करें। आम जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए पूर्व में दिन और समय के संबंध में जो निदेश निर्गत् किया गया था, उसे अब निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :–

(1) सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष–प्रत्येक शनिवार पूर्वाह्न 10:00 से 1:00 बजे अपराह्न तक।

(2) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक/प्रमंडलीय स्तर के अन्य विभागीय पदाधिकारी– प्रत्येक शुक्रवार पूर्वाह्न 10:00 से 1:00 बजे अपराह्न तक।

(3) सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/जिला स्तर के अन्य विभागीय पदाधिकारी–प्रत्येक वृहस्पतिवार पूर्वाह्न 10:00 से 1:00 बजे अपराह्न तक।

(4) सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी/अनुमंडल स्तर के अन्य विभागीय पदाधिकारी–प्रत्येक बुधवार पूर्वाह्न 10:00 से 1:00 बजे अपराह्न तक।

(5) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड स्तर के अन्य विभागीय पदाधिकारी/सभी थाना प्रभारी :– प्रत्येक मंगलवार को पूर्वाह्न 10:00 से 1:00 बजे अपराह्न तक।

सभी संबंधित पदाधिकारी अनिवार्य रूप से ऊपर निर्धारित दिन एवं समय पर जन शिकायतों की सुनवाई करेंगे और यथासंभव उसी समय उसके निवटारे का प्रयास करेंगे। विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर जैसे विधि व्यवस्था का संकट, चुनाव कार्य, न्यायालय सुनवाई आदि स्थिति में संबंधित पदाधिकारी अपने अधीनस्थ वरीय पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से जन शिकायतों की सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

3. विशेष सचिव के पत्रांक–942 दिनांक–27.05.06 से पाक्षिक प्रतिवेदन भेजने के लिए प्रत्येक माह के लिए 5 तारीख एवं 20 तारीख की तिथि निर्धारित की गयी है। सभी स्तरों से यह प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। सभी विभाग अपने से संबंधित विभागों के कार्यालयों का प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को उपलब्ध करवा देंगे।

4. सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ प्रमंडल स्तर के पदाधिकारी/जिला स्तर के पदाधिकारी/अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ प्रमंडल स्तर के पदाधिकारी/जिला स्तर के पदाधिकारी/अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी/प्रखंड स्तर के पदाधिकारी अपने कार्यालय में जन शिकायतों की सुनवाई हेतु कोषांग का गठन सुनिश्चित करें, लोक शिकायत की सुनवाई करें तथा प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित करें।

5. प्रतिवेदन भेजने हेतु भेजे गये प्रपत्र की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। माह जुलाई,2006 से इस व्यवस्था की सघन अनुश्रवण की जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–12.06.06

(जी0 एस0 कंग)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 1057 पटना–15, दिनांक–13 जून, 2006

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/गृह सचिव, बिहार, पटना/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–12.06.06

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव